बच्चों के अधिकार

प्रस्तावना -

भारत के सभी नागरिकों को जन्म के साथ कुछ अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार हमारा संविधान हमें प्रदान करता है। हम सभी संविधान के दायरे में आते हैं। हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए व व्यवस्था को बनाये रखने के लिए संविधान में कुछ नियम बनाये गये हैं जो कानून कहलाता है। कानून की जानकारी से हम व्यवस्थाओं को बनाये रखने में और अपने जीवन को सुरक्षित एवं सहज तरीके से जीने में सक्षम हो सकते हैं। आइये हम कुछ कानून की जानकारी लें। हमारे संविधान में सभी नागरिकों के लिए कानूनी तौर पर समान अधिकार प्रदान किये गये हैं, जिनमें कुछ अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं।

मौलिक अधिकार

मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं, जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं। मौलिक अधिकारों की सहायता से हम अपने जीवन में बिना किसी रूकावट के आगे बढ़ते जाते हैं। इन अधिकारों का पालन करके हम सभी एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। हमें मुख्यतः 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं -

1. समानता का अधिकार - भारत का प्रत्येक नागरिक कानून की नजर में समान है। किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, (लड़का-लड़की) के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायेगा। सभी को नौकरियों में समान अवसर प्रदान किये गये हैं।

2. स्वतंत्रता का अधिकार - भारत में प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी गांव, शहर, राज्य का निवासी हो, उसे अपनी बात कहने व भाषण देने की स्वतन्त्रता है। इसी के साथ वह शान्तिपूर्ण सम्मेलन कर सकता है। किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकता है व पूरे देश में बिना किसी रोक-टोक के घूम सकता है या रह सकता है। इस मूल अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण बात है जीवन जीने की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार जीवन जीने का अधिकार है।

3. शोषण के विरूद्ध अधिकार - प्रत्येक नागरिक शोषण होने पर न्याय पाने के लिए पुलिस में रिर्पोट कर सकता है। इस अधिकार की प्रमुख बात यह है कि किसी भी किशोर/किशोरी को जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है उसे किसी भी कारखाने या जोखिम भरे कार्यों को करवाना कानूनी अपराध है। इसके अतिरिक्त किशोर/किशोरियों के प्रति किसी भी प्रकार की जाति, धर्म, वंश, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार - इस मौलिक अधिकार के अन्तर्गत भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्म का पालन करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है।

5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार - भारत में प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने का मूल अधिकार है। शिक्षण संस्थान किसी भी व्यक्ति को उसके मूलवंश, जाति, धर्म, और भाषा के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने से नही रोक सकते हैं।

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार - अगर व्यक्ति को उसके मूल अधिकार नही मिल रहे हैं, तो वह न्यायालय की शरण में जाकर अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है।

बाल अधिकार

वे अधिकार है जो 18 वर्ष तक की उम्र के सभी किशोर व किशोरियों को दिये गये हैं उन्हें हम बाल अधिकार कहते हैं।

बाल अधिकार को 4 भाग में बांटा जा सकता है -

1. जीवन जीने का अधिकार - प्रत्येक किशोर/किशोरी का पहला हक है, वह एक अच्छा एवं सुरक्षित जीवन जीए। लड़का हो या लड़की सभी को बराबर का अधिकार है।

2. संरक्षण का अधिकार - प्रत्येक किशोर/किशोरी को शोषण से संरक्षण का अधिकार है। बच्चों की देखभाल उनके माता-पिता का दायित्व है, जिसे उन्हें निभाना चाहिए।

3. सहभागिता का अधिकार - बच्चों को सुनना, उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के पूरे मौके देना, उनसे जुड़े मुद्दों पर उनसे बात करना।

4. विकास का अधिकार - प्रत्येक किशोर/किशोरी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने एवं सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण अधिकार है।

बच्चों के अधिकारों को वंचित करने वाली मुख्य समस्याएं -

1. बच्चों का यौन शोषण - बच्चों के साथ स्कूल, घर एवं काम करने वाले जगहों पर यौन शोषण का खतरा रहता है। कई बार यौन शोषण केवल लड़कियों का ही नहीं बल्कि लड़कों का भी होता है। जो बच्चे बेघर हैं उन्हें नशे की लत लगाकर उनका यौन शोषण किया जाता है।

2. मानव तस्करी - बच्चों को बेचने का मतलब कोई भी ऐसा कर्ज या लेनदेन है जिसमें बच्चे को किसी तरह के भुगतान या अन्य कोई लाभ के बदले में एक व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों को सौंपा गया हो। मानव तस्करी अक्सर गांवों से शहरों में होती है। शहर से कुछ दलाल गांव जाकर काम या रोजगार दिलाने के नाम पर लड़के-लड़कियों को शहर लेकर जाते हैं। कई बार उन्हें बंधक बनाकर रखा जाता है। उनसे गलत काम करवाये जाते हैं।

3. बाल मजदूरी - बाल मजदूरी से मतलब ऐसे कार्य से है जिसे करने वाला 14 वर्ष से कम उम्र का हो। बाल मजदूरी के कारण बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। कम उम्र में शारीरिक मेहनत करने के कारण उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।

4. आदिवासी क्षेत्रों में आश्रम शालाओं में बच्चों को होने वाली समस्याएं - आदिवासी क्षेत्रों से आश्रम शालाएं संचालित की जा रही है। इन शालाओं में बहुत छोटे उम्र से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और वहीं पर रहते हैं। कुछ जगह बच्चों को कई प्रकार की समस्या हो सकती है, जैसे-अच्छा भोजन न मिलना, कम जगह में ज्यादा बच्चों को रखना, बीमार होने पर समय पर उचित इलाज नहीं मिल पाना, कई बार बच्चों से घर का, आश्रम शाला का काम करवाना, बच्चों को शारीरिक दण्ड देना, लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न होने का खतरा होना।

- उपरोक्त प्रकार की समस्याएं होने पर बच्चों की मदद के लिए बनाए गए हेल्प लाइन नम्बर 1098 का उपयोग कर सकते हैं।
- आवश्यकता पड़ने पर बाल संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग से भी मदद ले सकते हैं।

मिलकर गीत गाएं

हम छोटे-छोटे बच्चे हैं, दे दो अधिकार सही ।
हमेशा बड़ों की मनमानी, हमको स्वीकार नहीं ।।

खेलें कूदें धूम मचाएं, हम बच्चों का नारा ।
खुलकर बचपन को जीने दो, यह अधिकार हमारा ।।

तुम सब आपस में लड़ते हो, हम मिलजुल कर रहते हैं ।
भेदभाव को भूलकर, हम साथ में खेलते हैं ।।

शिक्षा विकास की प्रथम सीढ़ी, नित नया सीखने दो ।
खुली नभ में पंख फैलाए, हमको उड़ जाने दो ।।

बेमतलब यूं रोकटोक के, सीमा में न बांधों ।
चुनने दो अपने सपने भी, जो मर्जी बनने दो ।।

नारा

1. शिक्षा और अपनों का प्यार,
   यही है बच्चों का अधिकार ।
2. हम बच्चों का है यह अधिकार,
   पढ़ाई लिखाई और मां-बाप का प्यार ।
3. शिक्षा, पोषण और प्यार,
   हर बच्चे का है अधिकार ।
4. सारे बच्चे एक समान,
   हमको रखना है ये ध्यान ।
5. सब बच्चों को अधिकार एक समान,
   बाल अधिकार इसी का नाम ।
6. लड़का हो या लड़की हो,
   सेहत सबकी अच्छी हो ।
7. व्यापार या बाल विवाह,
   नहीं करें बचपन तबाह ।
8. बाल मजदूरी एक पाप है,
   बच्चों के लिए एक अभिशाप है ।
9. बचपन को न जाने दें बेकार,
   बच्चों को दें बाल अधिकार ।
10. लड़का-लड़की एक समान,
    फिर पालन पोषण क्यों असमान ।